भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 5
(जिसका उत्तर सोमवार, 25 नवंबर, 2024/4 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)

स्पाइस + फॉर्म 'ए' के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां

5. श्री अरविंद धर्मापुरी:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कारपोरेट कार्य मंत्रालय के स्पाइस + फॉर्म 'ए' के अंतर्गत कितनी कंपनियां पंजीकृत हैं;
(ख) क्या ऐसी कोई निर्धारित विंडो है जिसके भीतर सरकार की कंपनी के निगमन हेतु अनुमोदन जारी करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) एमसीए अधिनियम, 1956 के अंतर्गत धारा 8 के तहत आने वाली कंपनी, अर्थात गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत कंपनियों की कुल संख्या की सूची क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): पंजीकृत कंपनियों की संख्या निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**कुल कंपनियां**
2021-22	1,67,086
2022-23	1,59,302
2023-24	1,85,318
2024-25 [31 अक्तूबर 2024 तक]	1,00,320

(ख): वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप त्वरित निगमन संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए जनवरी 2016 में केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी) का परिचालन आरंभ किया गया था। इस पहल से हितधारकों के लिए व्यवसाय करने में अधिक सुगमता (ईओडीबी) प्रदान की गई तथा इसके परिणामस्वरूप निगमन संबंधी आवेदनों का तेजी से निपटान हुआ है तथा नियमों के अनुप्रयोग में एकरूपता आई है।

(ग): धारा 8 कंपनी के रूप में पंजीकृत कंपनियों की संख्या निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**धारा 8 के अंतर्गत कुल कंपनियां**
2021-22	9,282
2022-23	8,271
2023-24	11,358
2024-25 [31 अक्तूबर 2024 तक]	6,090

*****